संख्या: 690/XXIV-3/12/01(04

प्रेषक,

पी0एस0जंगपांगी,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक: 27 जून, 2012

विषय:– स्कालर्स एकेडमिक होम छड़ायल, हल्द्वानी नैनीताल को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेके एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स एकेडमिक होम छड़ायल, हल्द्वानी नैनीताल को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी ए (सी0बी0एस0ई0), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में राज्य सरक निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:–

(क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौंउसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टी एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त क उपर्युक्त दोनों बोर्डो द्वारा निर्धारित शर्तो/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ख) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

(घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधि लिया जायेगा।

(ङ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्र आफ सकेण्ड्री एजूकेशनल, नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन सर्टीफिकेट एक्जामिनेश दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं जायेंगे।

(छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायत अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ करायें जायेंगे।

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका करेगी।

Principal
Scholars' Academic Home
Haldwani

(झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ट) उक्त शर्तो में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2. उक्त विद्यालय द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण संबंधी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

3. संस्था द्वारा मानकानुसार समस्त प्रतिबन्धों को समावेश करते हुए शिक्षकों/कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनायी जायेगी तथा उन्हें मानकानुसार वेतन भुगतान किया जायेगा एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित कराया जायेगा।

4. संस्था में यदि कोई अवस्थापना सुविधायें पूर्ण रूप से विकसित नहीं है तब संस्था द्वारा उन्हें आगामी 6 माह में पूर्ण कराया जायेगा।

5. संस्था/स्कूल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में उल्लिखित प्राविधान कि 25% सरकार प्रायोजित कमजोर एवं अपेक्षित वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रूप से शिक्षा दी जायेगी, का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या: 690/XXIV-3/12/01(04)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
5. प्रधानाचार्य, स्कालर्स एकेडमिक होम छड़ायल, हल्द्वानी नैनीताल।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव

Manager,
Scholar's Academic Home
Charaval, Haldwani (Nainital)

Principal
Scholars' Academic Home
Haldwani